

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अदालत  
हुकम  
में

21/8/19

पत्रावली आप पेश की।  
 प्रार्थी व वडिल प्रार्थी गैर लजि।  
 वडिल अप्रार्थी ले. (1) लजि। बल  
 वडिल अप्रार्थी लनी गर। प्रार्थीगण  
 ने यह प्रथम पत्र द्वारा 212 राष्ट्रस्था  
 कश्तारी अधिनियम के प्रावधानों  
 के तहत पेश किया है। प्रार्थी लक्ष  
 बा० नं. 1891 के लंबेबा में पदतुल  
 पाद ले. 16/2010. विनाराम खनाम  
 सरकार ने अप्रार्थी ले. (1) पक्षा  
 नहीं है। फलस्वरूप अप्रार्थी ले. (1)  
 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य  
 के अनुरूप कोई वाद विचारणीय नहीं  
 है। अतः अप्रार्थी ले. (1) के विरुद्ध प्रार्थीगण  
 द्वारा कोई वाद पेश किया जाना नहीं  
 पाया जाता है। फलस्वरूप द्वारा 212  
 R.T. Act के तहत अध्याय निषेधारा  
 का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं  
 है।

अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना  
 पत्र कारीब किया जाता है। पत्रावली  
 फलल सुमा लेखर कालिद कपतर  
 ले।

निर्णय आप दि० 21/8/2019  
 को लेखर सुमा लुजाया गया।

(सम्पत्त) जी नगा  
 RA-3  
 न्यायक कलक्टर  
 जयपुर

